



हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शीशमबाडा देहरादून,
पिन- 248011 उत्तराखण्ड, भारत
वेबसाईट: www.hnbumu.ac.in

नीट यू0जी0, 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंगकी द्वितीय एवं आगामी काउन्सिलिंग चरणों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं नियम व शर्तें

1. द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता

नीट यू0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में इच्छुक अर्ह निम्न अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं:-

1. प्रथम चरण में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुयी हो।
2. ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश ले लिया हो और द्वितीय चरण में सीट अपग्रेडेशन हेतु प्रतिभाग कराना चाहते हो।
3. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश न लिया हो और द्वितीय चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण **न** कराया हो और द्वितीय चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हों।

विशेष- यदि प्रथम चरण में पंजीकृत हुये अभ्यर्थी द्वितीय चरण काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में अब सम्मिलित होने के इच्छुक न हों अथवा अपनी पूर्व प्रवेशित सीट से **सन्तुष्ट** हों तो उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग हेतु पुनः पंजीकरण/Choice Filling **न** करें, जिससे इस सीट को किसी अन्य अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को मेरिट के क्रम में नियमानुसार आवंटित किया जा सके।

2. आवेदन प्रक्रिया (केवल ऑन-लाईन आधार पर)

1. द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि **केवल आन-लाईन प्रणाली** (Credit/Debit Card/Net banking) के माध्यम से ही जमा की जायेगी।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो जमा की गई है, यदि वो द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कराना चाहते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर जाकर पंजीकृत आई-डी के माध्यम से आन-लाईन आवेदन कर नवीन च्वाइस फिलिंग करनी **अनिवार्य** होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि जमा **नहीं** करनी होगी।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में मात्र पंजीकरण शुल्क जमा किया गया पर परन्तु धरोहर राशि जमा नहीं की गई थी, वे धरोहर राशि को जमा करवाते हुये पुनः पंजीकृत आई-डी के माध्यम से आन-लाईन आवेदन कर नवीन च्वाइस फिलिंग करनी **अनिवार्य** होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण शुल्क राशि जमा **नहीं** करनी होगी।
4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो ही जमा **नहीं** किये गये हैं, वे निर्देशानुसार पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो ही जमा कर, पंजीकरण करवाकर आन-लाईन आवेदन फार्म भर कर नवीन च्वाइस फिलिंग करते हुये द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो जमा की गई हो तथा वे यदि पूर्व में चयनित किये गये कोटे (स्टेट कोटा/ऑल इण्डिया-मैनेजमेंट कोटा) के विकल्प में परिवर्तन करते हुये द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कराना चाहते हो, तो इस हेतु उन्हें

आन-लाईन आवेदन कर नवीन कोटे के विकल्प का आन-लाईन आवेदन फार्म भरते हुये चयन करना होगा। तदपश्चात वे आन-लाईन आवेदन फार्म भरकर वांछित सूचना भर कर नवीन च्वाईस फिलींग करते हुये द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसी दशा में यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि ज्यादा है तो उन्हें कोई अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा नहीं करनी होगी, परन्तु यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि कम (न्यून) है तो उन्हें उस चयनित कोटे हेतु निर्धारित सम्पूर्ण धरोहर धनराशि को दोबारा जमा करना होगा। इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त (पूर्व में जमा) जमा की गयी धरोहर राशि समस्त चरणों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया के समाप्त होने के एक माह पश्चात अभ्यर्थी द्वारा शुल्क वापसी हेतु आन-लाईन आवेदन फार्म में भरे गये विकल्प के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा ऑन-लाईन आधार पर वापस की जायेगी।

6. द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि में **पंजीकरण/पुनः पंजीकरण करने के उपरान्त आन-लाईन आवेदन फार्म को भरते हुये समस्त वांछित सूचना, नवीन च्वाईस फिलींग एवं च्वाईस लॉक (Choice lock) करना अनिवार्य होगा।** अन्यथा की दशा में वे द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन हेतु अर्ह **नहीं** माने जायेंगे।
7. पूर्व में प्रथम चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस फिलींग स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अतः द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे द्वितीय चरण हेतु निर्धारित समयावधि में उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें।
8. अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण रूप से आवेदन फॉर्म भरने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना होगा। भविष्य में आवेदन के सन्दर्भ में किसी भी पृच्छा/जानकारी अथवा प्रकरण का निस्तारण इस आवेदन फॉर्म के प्रिन्ट आउट के आधार पर ही काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
9. ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चरण काउन्सिलिंग में सीट आवंटित हुयी हो एवं कालेज स्तर पर उनके अभिलेखों के सत्यापन करते समय अभिलेखों में भिन्नता पायी गयी हो और वे अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन करना चाहते वे द्वितीय काउन्सिलिंग चरण में निर्धारित समयावधि के ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी के लाभ के ही पात्र होंगे।
10. ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन करना चाहते वे द्वितीय काउन्सिलिंग चरण में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत बदल सकता है।
11. अभ्यर्थी काउन्सिलिंग की प्रक्रिया की समय सारणी के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में वांछित परिवर्तन कर सकता है, तदपश्चात अभ्यर्थी को च्वाईस को LOCK किया जाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन किसी भी स्तर पर नहीं किया जायेगा।
12. यदि ऑन-लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिलींग करने के उपरान्त LOCK नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस को ऑन-लाईन प्रणाली द्वारा निर्धारित समयावधि उपरान्त स्वतः ही LOCK कर दिया जायेगा तथा यह माना/समझा जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन हेतु यही च्वाईस भरी गयी है।
13. अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे (राज्य कोटा/ऑल इण्डिया-मैनेजमेन्ट कोटा) के आधार पर चयन हेतु उपलब्ध समस्त सीटों में से अपनी च्वाईस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी चाहे सीटों का विकल्प चयन कर सकते हैं।
14. अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तथा संतुष्ट हो लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।
15. द्वितीय चरण में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन उपरोक्तानुसार निर्धारित नियम/प्रक्रियानुसार पंजीकृत हुये अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट, अर्हता एवं भरी गयी च्वाईस (विकल्प) के आधार पर किया जायेगा।

3. संस्थानवार सीट मैट्रिक्स

दिनांक 11-08-2023 की स्थिति के अनुसार संस्थानवार सीटों का कोटेवार (राज्य कोटा तथा ऑल-इण्डिया-मैनेजमेन्ट कोटा) सीट मैट्रिक्स विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है। सीट मैट्रिक्स को प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा सीट छोड़े जाने के फलस्वरूप समय-समय पर अपडेट किया जाता रहेगा।

4. शुल्क विवरण

काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान का संबंधित कॉलेज द्वारा उपलब्ध विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है।

5. सीट अपग्रेडेशन

1. प्रथम चरण में प्रवेशित छात्र (जिसके द्वारा बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश ले लिया गया है) को द्वितीय चरण में नियमानुसार सीट अपग्रेडेशन का अधिकार होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थियों का द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन **न होने** की दशा में पूर्व प्रवेशित सीट पर प्रवेश सुरक्षित रहेगा। **परन्तु ऐसी दशा में अभ्यर्थी को तृतीय चरण में सीट अपग्रेडेशन का अधिकार होगा।**
3. द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन **होने** की दशा में अभ्यर्थी का पूर्व प्रवेशित सीट पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, प्रत्येक दशा में यह सीट रिक्त करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण में प्रवेशित छोड़ी गयी (अपग्रेडेशन के कारण) इस रिक्त हुयी सीट को वरीयता सूची के क्रम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा नियमानुसार आवंटित कर दिया जायेगा। **अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपग्रेडेशन का विकल्प भरते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि वे उन्ही पाठ्यक्रम/सीट/संस्थान का ही विकल्प चयन करें जिसमें वे अपग्रेडेशन चाहते हो और प्रवेश लेने के इच्छुक हैं।**

6. प्रवेशित सीट को छोड़ने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) संबंधी नियम

1. नीट यू0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के प्रथम चरण के माध्यम से विभिन्न संस्थानों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को **विलम्बतम दिनांक 21.08.2023 सायं 05:00 बजे तक (केवल निर्धारित प्रक्रियानुसार ही)** सीट छोड़ने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) की अनुमति होगी। **सीट छोड़ने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) हेतु निर्धारित प्रक्रिया संबंधी सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है।**
2. उक्त तिथि व समय के उपरान्त किसी भी प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट छोड़ने की अनुमति **नहीं** होगी। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि यदि वे अपनी प्रथम चरण में प्रवेशित सीट को छोड़ना चाहते हैं तो उसे निर्धारित तिथि **विलम्बतम दिनांक 21.08.2023 सायं 05:00 बजे** तक छोड़ दें। ऐसे छात्र द्वितीय एवं आगामी काउन्सिलिंग चरणों में नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते हैं।
3. **दिनांक 21.08.2023 सायं 05:00 बजे** के उपरान्त प्रथम चरण की काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्र-छात्राओं को **किसी भी दशा में सीट छोड़ने की अनुमति नहीं** होगी।
4. द्वितीय चरण में बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को भारत सरकार/एन0एम0सी/एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानकानुसार हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार जब्त (forfiet) कर लिया जायेगा। ऐसे छात्र नियमानुसार नवीन पंजीकरण तथा धरोहर धनराशि जमा कर आगामी काउन्सिलिंग चरणों में प्रतिभाग कर सकते हैं।
5. द्वितीय चरण में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश ले लेता है तो उसे प्रवेशित सीट को बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी समयावधि तक छोड़ने की अनुमति होगी। ऐसी दशा में भारत सरकार/एन0एम0सी/एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानकानुसार हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, द्वारा नियमानुसार जब्त (forfiet) कर लिया जायेगा ऐसे छात्र

नियमानुसार नवीन पंजीकरण तथा धरोहर धनराशि जमा कर आगामी काउन्सिलिंग चरणों में प्रतिभाग कर सकते हैं।

6. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/ काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।

7. आरक्षण

1. द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में पंजीकृत हुये अर्ह अभ्यर्थियों को राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
2. किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
3. ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02 (ओ0बी0सी0)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही वैध (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैधता (validity) को भली-भांति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. शासनादेश संख्या 570/कार्मिक-2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (DPW) हेतु आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिकों के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
6. विकलांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के सापेक्ष प्रवेश लेने हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित विशेष राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। उक्त विशेष राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड के स्थान एवं तिथि के संबंध में सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर पृथक से अपलोड की जायेगी। विकलांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के संबंध में नीट यू0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित Information bulletin में निर्धारित नियम व शर्तें यथावत लागू रहेगी। संबंधित श्रेणी के आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे Information bulletin का भली-भांति अध्ययन कर लें।
7. किसी आरक्षित श्रेणी एवं उप श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में सीट रिक्त रहने/होने पर ऐसी सीटों को तृतीय चरण की काउंसिलिंग में नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरा जायेगा।

8. प्रवेश प्रक्रिया

1. द्वितीय चरण में बोर्ड द्वारा आवंटित सीटों पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी विस्तृत जानकारी द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग के सीट आवंटन सूची निर्गत होने के उपरांत विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर छात्रों हेतु पृथक से अपलोड की जायेगी।
2. आवंटित सीट पर प्रवेश सुरक्षित करने हेतु संबंधित छात्र को आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर अपने समस्त वांछित अभिलेख (मूल में) प्रस्तुत एवं जमा करने अनिवार्य होंगे, अन्यथा की दशा में वे प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। एक बार प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रवेशित सीट को बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक छोड़ने की अनुमति होगी।

9. विविध

1. आगामी चरणों की काउन्सिलिंग यदि कोई हो की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर पृथक से अपलोड की जायेगी।
2. विस्तृत जानकारी हेतु नीट यू0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित **Information Bulletin** का पुनः अध्ययन कर लें।
3. काउन्सिलिंग समय-सारणी में परिवर्तन का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार/एन0टी0ए0/एम0सी0सी0/एन0एम0सी0/डी0सी0आई0/मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार इस काउन्सिलिंग समय-सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
4. काउन्सिलिंग हेतु कोई भी सूचना/जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर ही अपलोड की जायेगी। अतः काउन्सिलिंग की अद्यतन सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

नोटिस प्रकाशन तिथि:- 15.08.2023

सदस्य सचिव

नीट यू0जी0 2023

उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग

Learn to Serve